

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

स०८डी०(बजट-आबंटन-2225)-13-20/2018- 38

प्रेषक,

मिथिलेश कुमार,  
निदेशक ।

सेवा में,

उपनिदेशक, कल्याण, भागलपुर ।

पटना, दिनांक 05.10.18

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय अन्तर्गत संविदा सेवायें ईकाई मद में कुल 1,10,000/- (एक लाख दस हजार रु०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत सृजित स्थायी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों यथा उपनिदेशक, कल्याण एवं उनके कार्यालय में सृजित स्थायी अराजपत्रित पदों, जिला कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक, सांख्यिकी सहायक, टंकक, ग्रेन गोला चौकीदार, लिपिक सह लेखापाल, चालक, चपरासी तथा अनुमंडल कल्याण कार्यालय के स्थायी अराजपत्रित पदों के वेतन-भत्ता एवं अन्य मदों में पूर्व में विभागीय आवंटनादेश संख्या 06 दिनांक 16.05.18 एवं 18 दिनांक 25.06.2018 द्वारा आवंटन दिया गया था । उपनिदेशक, भागलपुर के मांग के आलोक कुल 1,10,000/- (एक लाख दस हजार रु०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है ।

3- कुल भारित व्यय राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्यय शीर्ष "2225-अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-01-अनु० जातियों का कल्याण-001 -निदेशन और प्रशासन-0001-निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक इकाईयों- 0001. 2802-संविदा सेवायें मांग सं०-44 -बिपत्र कोड सं० 44- 2225010010001 के उचित इकाईयों के अन्तर्गत विकलनीय है ।

4- प्रमंडल स्तर पर प्रमंडलीय उपनिदेशक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे ।

5- वित्त विभाग के पत्रांक\*2561 दिनांक 17-4-98 एवं पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है । अतः निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त परिपत्र एवं समय समय पर वित्त विभाग/ राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्र /परिपत्रों के आलोक में आवंटित राशि का निकासी एवं व्यय करेंगे ।

6- राशि की नियमानुसार निकासी एवं समुचित उपयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी का होगा । संबंधित पदाधिकारी प्रत्येक माह के अंत में व्यय विवरणी, टी०भी० नम्बर इत्यादि मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

7- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है ।

8- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

(मिथिलेश कुमार)  
निदेशक ।

ज्ञापांक- स०८डी०(बजट-आबंटन-2225)-13-20/2018

38

पटना, दिनांक 05.10.18

प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(2) वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

(3) प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/अपर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जाति कल्याण विभाग/आई० टी० मैनेजर अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग /बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

24.10.18  
निदेशक ।

ज्ञापक- स०८डी०(बजट-आबंटन-2225)-13-20/2018 38 पटना, दिनांक 05.10.18  
प्रतिलिपि : जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

24/10/18

24/10/18

24/10/18  
निदेशक ।